वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2017-18

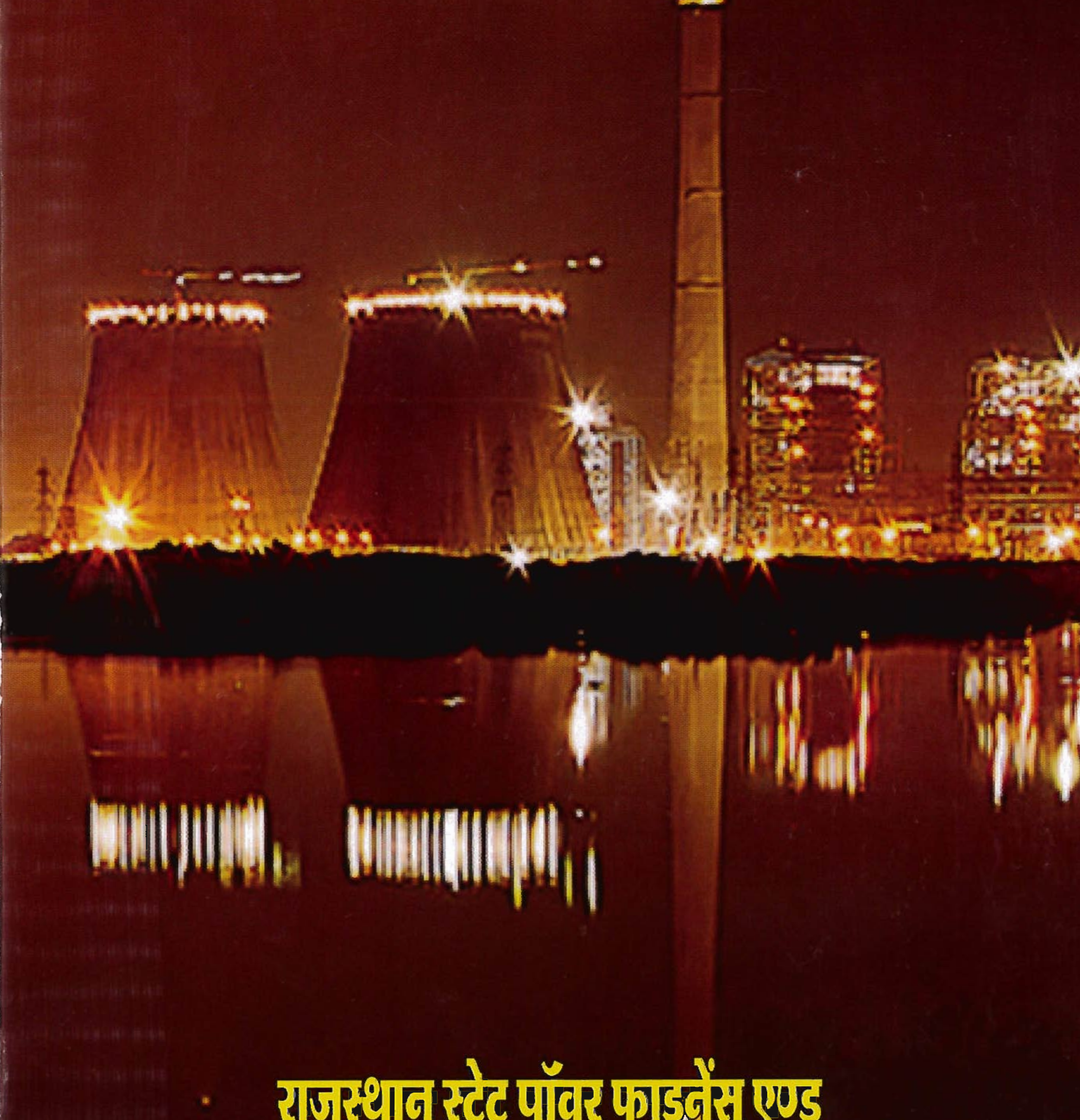

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

वार्षिक
प्रशासनिक प्रतिवेदन
2017-18

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

1, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास,
जयपुर (राजस्थान) 302 015

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ संख्या
कॉरपोरेशन : एक परिचय	
• गठन	1
• पुनर्गठन	2
• उद्देश्य	2
• प्रस्तावित संसाधन	3
• निदेशक मण्डल	4
वित्तीय परिदृश्य	
• बजट आवंटन	5
उपलब्धियाँ एवं गतिविधियाँ	
• प्रगति	6
• पदों का सृजन	8
• सेवा एवं वित्तीय नियम	9
• प्रचार–प्रसार	9
दूरभाष निर्देशिका	10
कॉरपोरेशन पंजीकरण प्रमाण पत्र	11
गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान का पंजीकरण	12

गठन

राज्य की विद्युत कम्पनियों को वित्त उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 199/2012 दिनांक 04.10.2012 को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (Public Limited Company) के रूप में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत किया गया।

इस कॉरपोरेशन द्वारा विद्युत कम्पनियों को धन उपलब्ध करवाने हेतु मुद्रा बाजार (Money Market) से धन राशि लेनी थी। इस प्रकार कॉरपोरेशन द्वारा गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी (Non Banking Financial Company) के रूप मे कार्य किया जाना था, जिसके लिए कॉरपोरेशन को भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी (NBFC) का प्रमाण पत्र दिनांक 24.07.2013 को जारी किया।

राजस्थान स्टे्ट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को सस्ता ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया। इस कॉरपोरेशन को वित्तीय संस्थानों द्वारा सरलता से ऋण दिया जावें, इसके लिए राज्य के विभिन्न उपक्रमो के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि राजस्थान स्टे्ट पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया, जिससे इसकी सम्पत्ति का सुदृढ आधार (Asset Base) बन सकें। कॉरपोरेशन के इस आधार का पुनः परीक्षण करने पर पाया कि किसी भी कॉरपोरेशन का केवल सम्पत्ति आधार (Asset Base) देखकर ही वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण नहीं दिया जाता, न ही कॉरपोरेशन के पास सम्पतियों के निस्तारण की कोई विशेषज्ञता थी। राज्य के विभिन्न उपक्रमों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि का हस्तांतरण भी आसान नहीं था। अतः कॉरपोरेशन के गठन के आधार को आर्थिक एवं तार्किक दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया। इस कारण से कॉरपोरेशन के संचालन का आधार बदलने एवं कॉरपोरेशन के पुर्नगठन करने का निर्णय लिया गया।

पुनर्गठन

मंत्रीमण्डल की आज्ञा संख्या 196/2015 दिनांक 14.10.2015 द्वारा इस कॉरपोरेशन का पुर्नगठन कर इसका नाम राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (Rajasthan State Power Finance & Financial Services Corporation Ltd.) किया गया।

राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रम उनके पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि जिसको वे बैंकों में सावधि (Fixed Deposit) में जमा कराकर ब्याज अर्जित करते हैं। अब वे ऐसी राशि को राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास जमा करवानी होगी। इस जमा राशि पर उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक दर पर ब्याज दिया जावेगा। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास उपलब्ध एवं एकत्र ऐसी धनराशि से राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों को उनकी आवश्यकता होने पर लघु अवधि के ऋण, बाजार दर से कम ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाये जावेगें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कम्पनी का नवीन नाम में परिवर्तन रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के रिकार्ड में दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने नवगठित कम्पनी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non-Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करते रहने के लिए प्रमाण–पत्र दिनांक 24.11.2016 को जारी किया।

उद्देश्य

- राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध अंशपूँजी (Equity) एवं राजकीय उपक्रमों की अधिशेष धनराशि का राज्य के अन्य उपक्रमों को ऋण उपलब्धता हेतु अधिकतम उपयोग किया जाना।
- जिन राजकीय उपक्रमों को धनराशि (Funds) की आवश्यकता हो उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराना।

- राजकीय उपक्रमों की धनराशि (Funds) हेतु बैंको पर निर्भरता मे कमी लाना। राजकीय उपक्रमों को ऋण उपलब्ध करवाकर राजकीय प्रत्याभूति (Government Guarantees) पर ऋणों की निर्भरता में कमी लाना।
- राजकीय विद्युत उत्पादन, प्रसारण अथवा वितरण कम्पनियों को केबल्स, ट्रांसफॉरमर्स, कन्डक्टर्स, उपकरण, मशीनरी, भवन, वाहन, भूमि, बिजली इत्यादि के क्रय हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- राज्य में स्थापित राजकीय विद्युत कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले बॉण्ड्स हेतु प्रत्याभूति देना।
- उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋणों, बॉण्डस्, शेयर्स अथवा पूँजी निवेश के माध्यम से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना।
- विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी हुई गतिविधियों जैसे कोयला एवं अन्य खनन इत्यादि, जिसका उपयोग राजकीय परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाता है, हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
- राजकीय विद्युत कम्पनियों हेतु आवश्यक अध्ययन सम्पादित करवाना एवं परामर्शीय सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- विद्युत उत्पादन/प्रसारण/वितरण/संरक्षण की परियोजनाओं की राजकीय विद्युत कम्पनियों द्वारा स्थापना, संचालन एवं रख रखाव हेतु प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों की साझेदारी में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय संसाधन को उपलब्ध कराना।

प्रस्तावित संसाधन

1. राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एवं फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार की एक पूर्णतया गैर–बैकिंग वित्तीय कम्पनी (Non Banking Financial Company) है, जिसकी अधिकृत पूंजी रु. 250 करोड़ है एवं निर्गमित (issued) व अभिदत्त (subscribed) पूँजी रू. 90 करोड़ है।

2. राज्य के विभिन्न राजकीय उपक्रम उनके पास उपलब्ध अधिशेष धनराशि जिसको वे बैंकों में सावधि (Fixed Deposit) में जमा कराकर ब्याज अर्जित करते हैं। अब उन्हे ऐसी राशि को राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास जमा करवाना होगा।

निदेशक मण्डल

1. राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एवं फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार है।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, कम्पनी के पद्न अध्यक्ष है एवं शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, कम्पनी के पद्न प्रबन्ध निदेशक है।
3. उक्त के अतिरिक्त कॉरपोरेशन में पाँच अन्य पदेन निदेशक हैं।
4. वर्तमान में कम्पनी का निदेशक मण्डल की संरचना निम्नानुसार हैः—

श्री डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग	अध्यक्ष
श्री राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग	निदेशक
श्री प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग	निदेशक
श्री आलोक गुप्ता, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	निदेशक
श्रीमती मंजु राजपाल, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग	प्रबंध निदेशक
श्री सुरेन्द्र कुमार सौलंकी, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	निदेशक
श्री अनुप खींची, प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान वित्त निगम	निदेशक

बजट 2017-18

(रू. लाखों में)

	प्राप्तियाँ	बजट प्रावधान (2017–18)	प्राप्तियाँ (31.12.2017 तक)
I.	राजस्व		
1	ब्याज से प्राप्तियाँ	00.00	0.00
2	निवेश से प्राप्त ब्याज	600.00	400.14
	योग I	**600.00**	**400.14**
II.	पूँजी		
1	राजकीय अंश	0.00	0.00
2	बॉण्ड उत्थापन	0.00	0.00
3	डिपोजिट (राजकीय संस्थानों से)	500.00	0.00
	योग II	**500.00**	**0.00**
	कुल योग	**1100.00**	**400.14**

	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय (31.12.2017 तक)
I.	राजस्व		
1	प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय	122.64	54.11
2	वित्त व्यय बॉण्ड उत्थापन व्यय सहित	0.01	0.00
3	बॉण्ड प्रकिया पर अन्य व्यय	0.01	0.00
4	अनुसंधान एवं विकास व्यय	400.00	0.00
	योग I	**522.66**	**54.11**
II.	पूँजी		
1	फर्नीचर	2.00	0.00
2	कार्यालय उपकरण	5.00	0.00
3	ऋण	6000.00	0.00
	योग II	**6007.00**	**0.00**
	कुल योग I+II	**6529.66**	**54.11**

प्रगति

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एवं फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पुनर्गठन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कम्पनी का नवीन नाम दिनांक 05.01.2016 को पंजीकृत करा दिया गया है। कम्पनी के मेमोरेन्डम में नए उद्देश्य जोड़ दिए गए हैं एवं उनका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ में करा दिया गया है।

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान प्रमाण पत्र

भारतीय रिजर्व बैंक ने नवगठित कम्पनी को गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान (Non Banking Financial Institution) के रूप में कार्य करते रहने के लिए प्रमाण पत्र दिनांक 24.11.2016 को जारी किया।

- **कॉरपोरेट सोशियल रेस्पोंसीबिलिटी समिति**

  (Corporate Social Responsibility Committee)

कॉरपोरेशन के सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने की दृष्टि से एक कॉरपोरेट सोशियल रेस्पोंसीबिलिटी समिति (Corporate Social Responsibility Committee) का गठन किया गया हैं, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 को आयोजित बैठक में किया गया। इस कमेटी का गठन निम्नानुसार है;

1.	प्रबंध निदेशक राजस्थान स्टेट पॉवर फाईनेंस एवं फाईनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष
2.	प्रबंध निदेशक राजस्थान वित्त निगम	सदस्य
3.	शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग	सदस्य

- **वित्त समिति (Finance Committee)**

कॉरपोरेशन की वित्त समिति (Finance Committee) के गठन का अनुमोदन निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 02.02.2017 को आयोजित 16वीं बैठक में किया गया है। इस कमेटी की संरचना निम्नानुसार है:—

1.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट पॉवर फाईनेंस एवं फाईनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष
2.	प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम	सदस्य
3.	शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग	सदस्य

- **अन्य समितियों (Other Committees)**

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा (Audit) एवं नामांकन और पारिश्रमिक (Nomination & Remuneration) समिति का गठन कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा पहले ही किया जा चुका हैं।

- **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (CSR Policy)**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा उसके अन्दर निर्मित नियमों के प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2017 को आयोजित 18वीं बैठक में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (CSR Policy) का अनुमोदन किया गया।

- **निवेश नीति (Investment Policy)**

कॉरपोरेशन के निवेश संबंधी कार्यों के सुप्रबंधन हेतु कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2017 को आयोजित 19वीं बैठक में निवेश नीति (Investment Policy) का अनुमोदन किया गया।

- **अन्य नीतियाँ (Other Policies)**

1. योग्यता रखने वाली राज्य सरकार की संस्थाओं को उचित दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिये कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को आयोजित 15वीं बैठक में ऋण नीति (Credit Policy) का अनुमोदन किया गया।

2. कॉरपोरेशन की जमा नीति (Deposit Policy) कॉरपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया में हैं।

पदों का सृजन/कार्यरत कार्मिक

कॉरपोरेशन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 32 पद स्वीकृत किये गये हैं। इन स्वीकृत पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पद विवरण	पदों की संख्या
1.	प्रतिनियुक्ति	25
2.	विशेष चयन	06
3.	सीधी भर्ती	01

1. प्रतिनियुक्ति के 25 पदों के विरूद्ध निम्नांकित पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है:—

   - महाप्रबन्धक (क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेंट) — अतिरिक्त कार्यभार
   - महाप्रबंधक (वित्त) — अतिरिक्त कार्यभार
   - महाप्रबन्धक (सिस्टम्स) — अतिरिक्त कार्यभार
   - सहायक महाप्रबन्धक (लेखा) — अतिरिक्त कार्यभार
   - सहायक महाप्रबन्धक (HR/Adm), RVUNL से प्रतिनियुक्ति पर
   - प्रबन्धक (लेखा), निदेशालय, कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर
   - वाहन चालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से प्रतिनियुक्ति पर

2. विशेष चयन से भर्ती के लिये सृजित पदों में से अभी किसी पद पर भर्ती नहीं की गई है।

3. सीधी भर्ती के लिये सृजित एक मात्र पद कम्पनी सचिव के पद पर एजेंसी के माध्यम से कार्यरत है।

4. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत अधिकारी कार्यरत है:–

- मुख्य सलाहकार (बैंकिंग), भारतीय रिजर्व बैंक के उपमहाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त।
- मुख्य सलाहकार (विधि), राजस्थान विधिक सेवा से संयुक्त विधि परामर्शी के पद से सेवानिवृत्त
- मुख्य सलाहकार (प्रशासन), राजस्थान प्रशासनिक सेवा से अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त

सेवा एवं वित्तीय नियम

वर्तमान में विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा को नियंत्रित करने, उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते आदि स्वीकृत करने, स्टोर के क्रय एवं संधारण, कार्यालय की प्रक्रिया एवं पद्धति आदि के संबंध में वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम लागू है।

कॉरपोरेशन को सीधी भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम निदेशक मण्डल की सहमति के उपरान्त वित्त (नियम) विभाग को प्रेषित किये गये है तथा विशेष चयन एवं भर्ती नियम निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया में है।

प्रचार–प्रसार

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाईनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर, राजस्थान सरकार के उपक्रम के रूप में स्थापित की गई है एवं कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय बजाज नगर, जयपुर में स्थित है।

इसी क्रम में कम्पनी की वेबसाइट rspfcl.rajasthan.gov.in स्थापित की गई है। वेबसाइट पर उपक्रम के विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी, उपक्रम द्वारा जारी की जाने वाली निविदा, भर्ती सम्बन्धी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है।

दूरभाष निर्देशिका

क्र. सं.	नाम	पद	सम्पर्क नम्बर
1.	श्री देवेन्द्र भूषण गुप्ता आईएएस	अध्यक्ष एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)	0141-2227664
2.	श्रीमती मंजु राजपाल, आईएएस	प्रबंध निदेशक एवं शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग	0141-2227934
3.	डॉ. अरविन्द कुमार मिश्र	महाप्रबंधक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	0141-2227450
4.	श्री राजेश कुमार गुप्ता	महाप्रबंधक (क्रेडिट एवं इन्वेस्टमेंट)	0141-2743433
5.	श्री अकुल भार्गव	महाप्रबंधक (सिस्टम्स)	0141-2227094
6.	श्री आर.आर पोद्दार	मुख्य सलाहकार (बैंकिंग)	0141-2708611
7.	श्री गंगा विष्णु चौहान	मुख्य सलाहकार (विधि)	0141-2708611
8.	श्री एस.सी.सोनी	मुख्य सलाहकार (प्रशासन)	0141-2708611
9.	श्री मोहन लाल सैनी	सहायक महाप्रबन्धक (लेखा)	0141-2708611
10.	श्री पंकज जांगिड	सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन)	0141-2708611
11.	सुश्री दीपाली श्रीवास्तव	कम्पनी सचिव	0141-2708611
12.	श्री सरदार मल यादव	प्रबन्धक (लेखा)	0141-2708611

कॉरपोरेशन पंजीकरण प्रमाण पत्र

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Registrar of Companies, Jaipur
G/6-7 , Second Floor , Residency Area , Civil Lines Jaipur - 302001, Rajasthan, INDIA

Certificate of Incorporation pursuant to change of name
[Pursuant to rule 29 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Corporate Identification Number (CIN): : U65923RJ2012SGC041087

I hereby certify that the name of the company has been changed from RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED to RAJASTHAN STATE POWER FINANCE AND FINANCIAL SERVICES CORPORATION LIMITED with effect from the date of this certificate and that the company is limited by shares.

Company was originally incorporated with the name RAJASTHAN STATE POWER FINANCE CORPORATION LIMITED
Given under my hand at Jaipur this Fifth day of January Two Thousand Sixteen.

Validity unknown

IMRAN AHMAD SIDDIQUI
Registrar of Companies
Registrar of Companies
Jaipur

Mailing Address as per record available in Registrar of Companies office:

RAJASTHAN STATE POWER FINANCE AND FINANCIAL SERVICES CORPORATION LIMITED
PLOT NO.1 BAJAJ NAGAR ENCLAVE, NEAR GANDHI NAGAR RELWAY STATION,
JAIPUR - 302015.

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था पंजीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

Jaipur REGIONAL OFFICE

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या / No. **B-10.00226**

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड** को दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार ~~प्रारंभ करने~~ / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

RAJASTHAN STATE POWER FINANCE AND FINANCIAL SERVICES CORPORATION LIMITED

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन नवंबर दो हज़ार सोलह की चौबीस तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at

this Twenty Fourth day of November Two Thousand Sixteen

(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)

General Manager / ~~Deputy General Manager~~

पंजीकृत एवं प्रशासनिक कार्यालय:

राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेन्शियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड

1, बजाज नगर एनक्लेव, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास,
जयपुर (राजस्थान) 302 015

दूरभाष: 91-141-2708611, ईमेल: rspfcl@rajasthan.gov.in
Visit us at: rspfcl.rajasthan.gov.in

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि./TP-2018